



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

2203]
o. 2203]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 2010/कार्तिक 3, 1932
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2010/KARTIKA 3, 1932

उपरोक्त मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2010

का.आ. 2613(अ).—भांडागारण (विकास और विनियमन)
धनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 1 की उप-धारा (3)
उ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 25 अक्टूबर,
10 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त
धनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा सं. टीएफसी/31/2008]
नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2010

S.O. 2613(E).—In exercise of the powers conferred
by sub-section (3) of Section 1 of the Warehousing
(Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the
Central Government hereby appoints the 25th day of
October, 2010 as the date on which the provisions of the
said Act, shall come into force.

[F. No. TFC/31/2008]
NAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.